कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 **Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd** **E-Mail-eicpwduk@nic.in**

पत्रांक– 542 /34व्यक–स्थाना0–सा0/2021 दिनांकः– 16 /04/2021

–:कार्यालय ज्ञापः–

शासनादेश संख्या–270/ III(I)/18–86(अधि0)/2007 दिनांक–26.02.2018 द्वारा राज्य में विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों के कार्य में निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017 दिनांक–06.02.2018 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या–1, वर्ष–2021) के अनुपालन में इस कार्यालय के ज्ञापसंख्या–672/34 व्यक–स्थानान्तरण–सा0/2018 दिनांक–31.03.2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–40/34व्यक– स्थानान्तरण– सा0/2019 दिनांक–04.01.2020 द्वारा लोक निर्माण विभाग के दुर्गम एवं सुगम स्थलों के चिन्हीकरण किया गया है एवं उक्त शासकीय निर्देशों के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या–460(1)/ 34व्यक–स्थाना0–सा0/21 दिनांक–01.04.2021 द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से किये जाने वाले श्रेणी 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्त शासकीय आदेश दिनांक–26.02.2018 एवं लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्ष–2021 में स्थानान्तरण की प्रकिया के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के ऑनलाईन भरे गये डाटा यथा–सेवा विवरण/अपडेट कराये जाने के पश्चात स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष–2021) के अनुसार वर्तमान सत्र में शासकीय पत्रसंख्या–44/xxx(2)/2021–3(11)2018 दिनांक–19.02.2021 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों के सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची लोक निर्माण विभाग की बेवसाईट पर अपलोड किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।

उपरोक्तानुसार तैयार सूची इस वर्ष के स्थानान्तरण सत्र हेतु सम्बन्धित कार्यालय से डाटा ऑन लाईन **HRMS Portal** के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रकाशित सूची में यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पायी जाती है तो **HRMS Portal** के माध्यम से विभागाध्यक्ष कार्यालय के संज्ञान में लाने का दायित्व सम्बन्धित कार्मिक एवं सम्बन्धित कार्यालाध्यक्ष का होगा।

ह0/-
(जे0एस0 हयांकी)
वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)/
सदस्य स्थानान्तरण समिति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा **HRMS Portal** पर डाटा इन्ट्री के अनुसार पात्रता सूची तैयार की गयी है। यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में कोई त्रुटि प्रतीत होती है, तो इस हेतु सम्बन्धित कार्यालाध्यक्ष स्वंय जिम्मेदार होंगेः–

01. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
03. मुख्य अभिन्ता (अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
04. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
05. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
06. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
07. अधिशासी अभियन्ता, (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों के सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची आज दिनांक–15.04.2021 को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें। (संलग्न सूची)।
08. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–प्रथम/द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
09. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी–व्यवस्थापन–ख/ग/घ एवं कार्य प्रभावित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. गार्ड पत्रावली हेतु।

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)/
सदस्य स्थानान्तरण समिति
15/4/2021